संख्या-53/2026/198के-2/22-3-2025-17(340)/25

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 17 मार्च, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अखिलेश अवस्थी पुत्र श्री कृष्ण कुमार अवस्थी, निवासी जनपद-कानपुर नगर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-4040/प्रो0अनु0(2)-286/2025/(बैठक दिनांक 21.01.2025), दिनांक 30.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अखिलेश अवस्थी पुत्र श्री कृष्ण कुमार अवस्थी, जो 2सी0-514, आवास विकास कालोनी, हंसपुरम, थाना-नौबस्ता, जनपद-कानपुर नगर का निवासी है। बंदी द्वारा दिनांक 17-08-2009 को फिरौती के लिए अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर शिवम बाजपेई कक्षा-12 के छात्र का अपहरण किया एवं राज खुलने के डर से चाकू से गोदकर उक्त लड़के की हत्या कर शव नदी में फेंक दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को (1) सत्र परीक्षण सं0-239/10 में भा0द0वि0 की धारा-364ए/149, 302/149, 201 तथा (2) सत्र परीक्षण सं0-1598/10 में धारा-25/4 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-9, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 31.10.2019 द्वारा आजावीन कारावास से दण्डित किया गया। रजिस्टर नं0-1 के अनुसार बन्दी की आयु 49 वर्ष है। बंदी द्वारा दिनांक 06-01-2025 तक 15 वर्ष, 04 माह, 17 दिन की अपरिहार तथा 16 वर्ष, 02 माह, 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गई है।

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर के अनुसार बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आने, भविष्य में पुन: अपराध की संभावना से इंकार नहीं किये जाने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बंदी को जेल में और आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने, बंदी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा बंदी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने का अंकन करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सलाहकार समिति का अभिमत है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में पुलिस उपायुक्त पूर्वी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त से स्पष्ट है कि बंदी को कारागार से रिहा करने पर समाज में रोष व तनाव व्याप्त होगा तथा लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। प्रकरण में कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है जिसके आधार पर पुलिस उपायुक्त पूर्वी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की गयी आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारण बनाई जा सके। इस प्रकार समिति के समस्त सदस्यों द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मत स्थिर करते हुए बंदी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता व बंदी को कारागार से रिहा करने से समाज में भय का वातावरण व्याप्त होने, लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पडने, पुलिस उपायुक्त पूर्वी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-473 (दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा-432) के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अखिलेश अवस्थी पुत्र श्री कृष्ण कुमार अवस्थी को उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अखिलेश अवस्थी (बन्दी संख्या-28526) पुत्र श्री कृष्ण कुमार अवस्थी, निवासी जनपद-कानपुर नगर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-198(1)के-2/22-3-2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in